10.31. Form of Appeal and Contents of Memorandum.– (1) Every Appeal against the award of the Claims Tribunal shall be preferred in the form of a memorandum signed by the appellant or an Advocate or attorney of the High Court or to such officer as it appoints in this behalf. This memorandum shall be accompanied by a copy of the award.

(2) The memorandum shall set forth concisely and under distinct heads the grounds of objection to the award appealed from without any argument or narrative, and such grounds shall be numbered consecutively.

(3) Save as provided in sub-rule (1) and (2) the provisions of Order XXI and Order XLI in the First Schedule to the Code of Civil procedure, 1908 (V of 1908) shall mutatis mutandis apply to appeals preferred to High Court under Section 173.

10.32. Record.– The record of claims cases disposed off by the Claims Tribunal shall be preserved for a period of five years:

Provided further that, in cases where any award of compensation is made and the claimant does not come forward within a year of passing the award, the records shall be preserved for five years only from the date of the award and the unclaimed amount shall be transferred to the treasury.

CHAPTER XI
OFFENCES, PENALTIES & PROCEDURE

11.1. Officers empowered to recover penalty for causing obstruction to free flow of traffic.– Transport Officers not below the rank of [1][Sub-Inspector of Motor Vehicles] and Police Officer not below the rank of Inspector are authorised to recover the penalty under section 201 of the Act.

CHAPTER XII
MISCELLANEOUS

[1][**12.1. Payment of fee.**– The fee payable under the Act and rules made thereunder shall be payable in cash or through Challa in prescribed Form 12.1]

[2][**12.1A. Application fee for obtaining verification of documents.**– A fee of [3][Rs. 100/–] shall be charged on every application for obtaining verification of documents relating to registration, licence fitness and permit;

Provided that no such fee shall be charged if verification is required by a Government Department, Police or a court.

---

1. Subs. by G.S.R. 82, dated 29.11.2002 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 29.11.2002).
2. Added by G.S.R. 46, dated 4.12.2003 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 4.12.2003). (w.e.f. 4.12.2003).
3. Subs. by G.S.R. 56, dated 15.2.2005 (Pub. in Raj. Gaz., Ex.-ord. Pt.-4(Ga)(I), dated 15.2.2005). (w.e.f. 15.2.2005).

10.31. अपील का प्ररूप और ज्ञापन की अन्तर्वस्तु.— (1) दावा अधिकरण के अधिनिर्णय के विरुद्ध प्रत्येक अपील ज्ञापन के रूप में दी जावेगी, जो अपीलार्थी द्वारा इस निमित्त सम्यकतः प्राधिकृत एडवोकेट या उच्च न्यायालय के अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगी और उच्च न्यायालय को या ऐसे अधिकारी को, जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, प्रस्तुत की जायेगी। इस ज्ञापन के साथ अधिनिर्णय की एक प्रति संलग्न होगी।

(2) ज्ञापन में स्पष्ट रूप से और सुभिन्न शीर्षकों में अपीलाधीन अधिनिर्णय के प्रति आपत्ति के आधारों को, बिना किसी तर्क या वर्णन के, दिया जायेगा और आधारों को क्रमशः संख्यांकित किया जायेगा।

(3) उप–नियम (1) और (2) में उपबंधित के सिवाय, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (5 आफ 1908) की प्रथम अनुसूची में XXI और आदेश XLI के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, धारा 173 के अधीन उच्च न्यायालय में की गई, अपील को लागू होंगे।

10.32. अभिलेख.— दावा अधिकरण द्वारा निपटाये गये दावों के मामलों का अभिलेख पांच वर्षों की अवधि के लिये सुरक्षित रखा जायेगा :

परन्तु ऐसे मामलों में जहां किसी महिला या विधिक–निर्योग्यता वाले व्यक्तियों के पक्ष में दावा अधिकरण द्वारा विनियोग किये गये है, तो अभिलेख को उस अवधि के अन्त तक के लिये सुरक्षित रखा जायेगा :

परन्तु यह और कि ऐसे मामलों में जहां प्रतिकर का अधिनिर्णय दे दिया गया हो, पर दावेदार अधिनिर्णय देने से एक वर्ष के भीतर नहीं आता है, तो अभिलेख को अधिनिर्णय की दिनांक से केवल पांच वर्ष के लिये सुरक्षित रखा जायेगा और बाद में अदावाकृत राशि कोषागार को अन्तरित कर दी जायेगी।

अध्याय–11

अपराध, शास्तियां और प्रक्रिया

11.1. यातायात के मुक्त प्रवाह को रुकावट कारित करने के लिये शास्ति की वसूली के लिये प्राधिकृत अधिकारी.— परिवहन अधिकारी, जो [1][मोटर यान उप–निरीक्षक] की श्रेणी से नीचे का न हो, और पुलिस अधिकारी जो निरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो, अधिनियम की धारा 201 के अधीन शास्ति की वसूली के लिये प्राधिकृत है।

अध्याय–12

विविध

[1][**12.1. फीस का संदाय.**— इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन संदेय फीस, विहित प्ररूप 12.1 में नकद या चालान के मार्फत संदेय होगी।]

[2][**12.1क. दस्तावेजों का सत्यापन अभिप्राप्त करने के लिये आवेदन फीस.**— रजिस्ट्रीकरण, अनुज्ञप्ति, ठीक हालत में होने का प्रमाण–पत्र और परमिट सम्बन्धी दस्तावेजों का सत्यापन अभिप्राप्त करने के प्रत्येक आवेदन पर [3][रु. 100/–] की फीस प्रभारित की जायेगी;

परन्तु कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी यदि सत्यापन सरकारी विभाग, पुलिस या किसी न्यायालय द्वारा अपेक्षित है।]

---

1. जी.एस.आर. 82, दिनांक 29.11.2002 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 29.11.2002 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
2. जी.एस.आर. 46, दिनांक 4.12.2003 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 4.12.2003 पर प्रकाशित) द्वारा जोड़ा गया। (w.e.f. 4.12.2003).
3. जी.एस.आर. 56, दिनांक 15.2.2005 (राज. राजपत्र विशेषांक, भाग–4(ग)(1), दिनांक 15.2.2005 पर प्रकाशित) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। (w.e.f. 15.2.2005).